|| छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार ||

हाईवे चैनल

डाक–16 मई, गुरुवार, 2019

वर्ष–21 अंक–345 | बिलासपुर, बुधवार 15 मई 2019 | पृष्ठ–8 मूल्य–2 रुपया | ❑ बिलासपुर ❑ रायपुर ❑ जगदलपुर से प्रकाशित

अमित शाह बोलेए ब्त्य्थ् के जवान ना होते तो मेरा बचना मुश्किल था

नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी) ।ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है।

मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं हुईए लेकिन बंगाल में हर चरण में हिंसा हुई इसका साफ़ मतलब है कि हिंसा ज्डब् कर रही है। बंगाल में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है।

महामिलावटियों के पास 2 मुद्दे. मोदी की छवि खराब करना और सत्ता से बेदखल करना

नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ;च्ड छंतमदकतं डवकपद्ध ने बुधवार को बिहार ;ठपींत त्ंससलद्ध के पालीगंज में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार हमेशा से शिक्षा और प्रतिभा की भूमि रही है। यहां से निकले प्.।.ै और सिविल सेवा के अन्य अफसर देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामिलावटियों के पास केवल दो ही मुद्दे हैं . मोदी की छवि खराब करना और उसे सत्ता से बेदखल करना।

ब्रेकिंग न्यूज

इगोर स्टिमाक बने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच

नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)। भारतीय फुटबॉल टीम को उसका नया कोच मिल चुका है। क्रोएशिया की विश्व कप टीम के सदस्य और पूर्व मैनेजर इगोर स्टिमाक अब यह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। एआईएफएफ ने उनके साथ दो साल का अनुबंध किया। वे स्टीफेन कॉन्सटेन्टाइन की जगह लेंगे। तकनीकी समिति ने चंद दिन पहले ही इस शीर्ष पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। विश्व कप 1998 में तीसरे स्थान पर रही क्रोएशियाई टीम के सदस्य 51 वर्षीय स्टिमाक का तकनीकी समिति ने चयन किया था, जिसने 9 मई को चार उम्मीद्वारों के साक्षात्कार लिए थे। स्टिमाक एकमात्र उम्मीद्वार थे जो साक्षात्कार के लिए स्वयं उपस्थित हुए। स्टिमाक के अलावा अलबर्ट रोसा, ली मिंग–सुन्ग और हकन एरिकसन कोच पद के दावेदार थे। एआईएफएफ स्टिमैक के रिसर्च से प्रभावित होकर उन्हें कोच बनाने का निर्णय लिया। 51 साल के स्टिमाक जुलाई 2012 से अक्टूबर 2013 तक क्रोएशिया के राष्ट्रीय टीम के कोच थे। उनकी कोचिंग में टीम 2014 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग प्लेऑफ तक पहुंची थी।

कमल हासन को हिंदू आतंकवादी वाले बयान पर हाईकोर्ट से राहत

नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)। दिल्ली उच्च ने मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ यह याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। अदालत ने कहा है कि चूंकि मामला तमिलनाडु में घटित हुआ इसलिए याचिकाकर्ता सही स्थान पर संपर्क कर सकते हैं। उनके खिलाफ यह याचिका नाथूराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी कहने की वजह से दायर की गई थी। 13 मई को तमिलनाडु के अरवाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए कमल हासन ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को स्वतंत्र भारत का पहला हिंदू आतंकवादी कहा था। जिसके बाद से सियासत गरमा गई है। उन्होंने कहा था, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि यहां काफी संख्या में मुसलमान हैं। मैं ये महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने कह रहा हूं। आजाद भारत में पहला आतंकवादी एक हिंदू था। उसका नाम था– नाथूराम गोडसे। अरवाकुरिची में 19 मई को उपचुनाव होना है।

बहकावे में न आएं लोग : मायावती

लखनऊ, 15 मई (एजेंसी)। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को दलित विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बीजेपी के बहकावे में न आएं।

पीएम मोदी के बेनामी संपत्ति के आरोप के जवाब पर मायावती ने कहा कि पीएम मोदी शालीनताओं को पार कर चुके हैं, वह बीएसपी को %बहनजी की संपत्ति पार्टी% कहने में घबराते नहीं हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जो कुछ भी है, वह शुभचिंतकों और समाज के लोगों ने दिया है और सरकार से कुछ भी छिपा नहीं है। सबसे ज्यादा बेनामी संपत्ति वाले लोग बीजेपी से जुड़े हैं। इनका हिसाब–किताब कालीन के अंदर छिपा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित और देशहित के मामले में बीएसपी अध्यक्ष फिट हैं और इसकी तुलना में मोदी अनफिट हैं।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, मोदी जी बोल रहें हैं महामिलावटी लोगों के पास संपत्तियों का अंबार है।

चुहिया- हां जी, लेकिन भाजपाइयों के पास भी तो बेशुमार दौलत है।

विजय माल्या को लंदन का घर छुड़ाने एक साल का समय

देने होंगे 200 करोड़

लंदन, 15 मई (एजेंसी)। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) को मध्य लंदन स्थित अपना गिरवी रखा घर छुड़ाने के लिए अदालत से अगले साल अप्रैल तक का समय मिल गया है। माल्या ने यह घर गिरवी रखकर स्विस बैंक यूबीएस से कर्ज लिया था।

यूबीएस बैंक ने कर्ज के 2.04 करोड़ पौंड (करीब 182 करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं करने पर माल्या के आलीशान कॉर्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने की मांग की थी। पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होनी थी। ब्रिटिश हाई कोर्ट की चांसरी डिवीजन के जज सिमॉन बार्कर के न्यायिक सहमति आदेश के मुताबिक दोनों पक्षों में समझौता हो जाने की वजह से मामले की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

माल्या को कर्ज की रकम के साथ–साथ अप्रैल 2019 तक उपार्जित ब्याज की 8,20,333.64 पौंड की रकम भी चुकानी होगी। इसके अलावा उन्हें अगले साल तक उपार्जित होने वाले ब्याज की राशि, 10,47,081.18 पौंड कानूनी फीस और 2,23,863.82 पौंड रिसीवर की फीस के तौर भी चुकाने होंगे। इसके अलावा अदालत ने भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा माल्या के खिलाफ जारी दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी दावे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील पर माल्या जमानत पर है और इस मामले में ब्रिटिश हाई कोर्ट में दो जुलाई को सुनवाई होनी है।

अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा को लेकर कई जगह प्रदर्शन

भाजपा का जंतर-मंतर में मौन प्रदर्शन

रायपुर में दोपहर बाद शांति मार्च

नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक लगातार हिंसक घटनाएं जारी हैं। इधर, दिल्ली में भाजपा ने जंतर मंतर पर मौन विरोध प्रदर्शन किया।

दिल्ली के जंतर–मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर बैठे। वे पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं से नाराज हैं, और मंगलवार को बंगाल की राजधानी कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा का विरोध कर रहे हैं।इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह और विजय गोयल समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मालूम हो कि हिंसक घटनाओं को लेकर भाजपा बंगाल सरकार पर सीधा आरोप लगा रही है, जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब भाजपा का षडयंत्र है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता काले रंग के पोस्टर लेकर बैठे थे, जिसमें सफेद अक्षरों में बंगाल को बचाने के लिए भाजपा की सरकार चुनने के नारे लिखे हुए थे। पोस्टरों पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था सेव बंगाल–सेव डेमोक्रेसी। कई पोस्टरों में हिंदी में भी यही नारा लिखा हुआ था बंगाल बचाओ–लोकतंत्र बचाओ।

मंगलवार को कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान भी हिंसा हुई। इस दौरान कई जगह मारपीट और आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। हिंसा के लिए भाजपा और टीएमसी एक—दूसरे पर आरोप लगा रही है। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने वीडियो जारी कर हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं अमित शाह ने प्रेस कांफ्रेंस कर टीएमसी पर आरोप लगाया।

नक्सलियों ने काटी सड़क, टांगे बैनर पोस्टर

18 को बंद का किया ऐलान

हाईवे चैनल

दंतेवाड़ा,15 मई । जिले के गुमियापाल, हिरोली, पीरनार सड़क पर नक्सली कहर बनकर टूट पड़े है। नक्सलियों की दरभा डिवीजन की मलांगीर एरिया कमेटी ने सड़क को काट दिया। साथ ही पास के पेड़ों में पर्चे, पोस्टर, लाल बैनर टांगकर पुलिसिया मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए विरोध करने की बात लिखी। नक्सलियों के टांगे पोस्टर में 13 नम्बर डिपाजिट खदान को बंद करने की बात के साथ, पर्चो में कच्चा माल लूटने के पुलिस गाड़िया अंदुरुनी इलाकों तक आसानी से पहुँच सके इसलिए सड़क काम बंद करे, फर्जी मुठभेड़, फर्जी गिरफ्तारी बंद करने की बात पर्चो में लिखी है। वही नक्सालियों ने विरोध साथ ही 18 मई को एक दिवसीय दरभा डिवीजन को बंद करने आह्वाहन किया। इधर दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस तरह से जारी नक्सलियों के पर्चो को पुलिस का डर बता रहे है। ग्रामीणों द्वारा इस्तेमाल होने वाली सड़क नक्सली काट रहे जो कि गलत है। ग्रामीणों की सड़क काटकर विरोध करने में तो नक्सलियों का डर दिखता है।

राहुल गांधी को बड़ी राहत, मोदी के खिलाफ बयान के लिए नहीं दर्ज होगा देशद्रोह का केस

नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। हर पार्टी अपने विपक्षी को कमजोर साबित कर बाजी मारने के लिए आतुर है। ऐसे में राजनेताओं के कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो शिष्टाचार की सीमा लांघ रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे ही एक बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत की गई थी जिसमें उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से राहत मिली है।

दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में पीएम को शहीदों के खून के पीछे छिपने वाले और शहादत की दलाली करने वाला कहा था। इसके लिए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत की गई थी। इस शिकायत में मांग की गई थी कि पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ धारा 124 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करे।

इसी शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू अदालत में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल की। इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शिकायत के कंटेंट के अनुसार कोई अपराध नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है और इसके लिए अगर पीएम खुद मानहानि का मुकदमा दायर करने चाहें तो कर सकते हैं।

अब थप्पड़ से डर नहीं लगता : केजरीवाल

संगरूर, 15 मई (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब थप्पड़ से डर नहीं लगता। विरोधी बौखलाहट में इस तरह की हरकत करवा रहे हैं। हमने दिल्ली में सिस्टम में बदलाव किया और आम लोगों के हित में कदम उठाए। यह बात विरोधियों को रास नहीं आ रही है।

केजरीवाल ने संगरूर संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं में खुद पर हो रहे हमलों और थप्पड़ मारने की घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि अब थप्पड़ से डर नहीं लगता। अच्छा काम करने पर नियमों में बदलाव के कारण विरोधी हमले करवा रहे हैं। अब तक उनके साथ पांच बार थप्पड़ मारने की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होने कहा, हमने दिल्ली में सिस्टम में सुधार किया, ताकि आम लोगों का भला हो। हमने कई बदलाव किए, लेकिन विरोधी दलों को यह रास नहीं आया। इसके बाद मेरे ऊपर हमले करने और थप्पड़ मारने जैसी घटनाओं की साजिश रची गई।केजरीवाल ने संगरूर में काली झंडियां दिखाए जाने पर कहा कि यहां आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होती देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। वे इसी कारण ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बिक्रम मजीठिया से माफी मांगने के मामले पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाु कई केस कोर्ट में डाले गए। समय बर्बाद न हो इसलिए कई जगह उनको समझौता करना पड़ा।

लड़ूंगी केस, नहीं मांगूंगी माफी : प्रियंका

कोलकाता, 15 मई (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मीम बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुईं भाजपा यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा ने बुधवार को कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी फरि भी मुझे 18 घंटे तक जमानत नहीं दी गई। मुझे मेरे वकील और परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने मुझसे एक माफीनामे पर दस्तखत करने के लिए कहा गया लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी, मुकदमा लड़ूंगी। वहीं दूसरी ओर प्रियंका शर्मा को तत्काल रिहा नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि, बंगाल सरकार ने कहा है कि शर्मा को आज 9.40 बजे रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत देने के बाद भी प्रियंका को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया..? हमारा आदेश स्पष्ट था और इसका तुरंत पालन होना चाहिए। यदि उन्हें तत्काल रिहा नहीं किया गया तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

रायपुर लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने का षड़यंत्र

कांग्रेस प्रत्याशी महापौर प्रमोद दुबे को दिए गए समर्थन पर लेन देन का जवाब

हाईवे चैनल

रायपुर, 15 मई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रायपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी व महापौर प्रमोद दुबे से जुड़े लेन देन के एक मामले में महापौर ने साफ कर दिया है कि उनके द्वारा चुनाव में किसी प्रत्याशी से समर्थन हासिल करने के लिए कोई लेन देन नहीं हुआ है। साथ ही कहा है कि ऐसा प्रयास चुनाव के दौरान नुकसान पहुंचाने की नियत से तथाकथित लोग कर सकते है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश देवांगन ने उनके पक्ष में समर्थन का ऐलान निस्वार्थ, निष्पक्ष व कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि 50 लाख रुपए का समर्थन हासिल करने का सभी आरोप गलत और निराधार है। उन्होंने बताया कि रायपुर लोकसभा सीट में चुनाव कांग्रेस के नीतियों पर चलकर लड़ा है। जिसमें परिणाम जल्द सामने होंगे। वहीं इस मुद्दे में कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन का कहना था कि उक्त लेन देन में जिस कार्यकर्ता का नाम सामने आया है उस पर पूर्व में भी इस तरह की बातें और माहौल की बिगाड़ने की शिकायते रही है। जहां तक एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के पुत्र का सवाल है। उनकी भूमिका को जोड़कर आडियो वायरल किया गया ताकि उक्त कतिपय कार्यकर्ता चुनाव में पूरा लाभ उठा सके। वहीं डॉ. ओमप्रकाश देवांगन ने शुरूआत से ही लेन देन से इंकार किया है। इस संबंध में वे निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करा चुके है। जिसमें निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसी सभावना दिख रही है कि रिजल्द के बाद उक्त शिकायत पर आयोग किसी न किसी तरह का फैसला अवश्य करेगा।

डॉ. ओमप्रकाश देवांगन ने कहा- निष्पक्ष, निःस्वार्थ दिया था समर्थन

उल्लेखनीय है कि रायपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी व महापौर प्रमोद दुबे चुनाव लड़ रहे थे। मतदान के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश देवांगन को लेकर एक आडियो वायरल हुआ था। उक्त आडियो में यह कह जा रहा था कि डॉ. देवांगन ने कांग्रेस प्रत्याशी से 50 लाख रुपए समर्थन देने के लिए हासिल किए है। बता दें कि डॉ. देवांगन ने चुनाव के एक पखवाड़े पहले एक ऐलान के माध्यम से कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया था। चूंकि डॉ. देवांगन बीरगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र में एक स्थापित नेता रहे है। उनकी प्रतिष्ठा क्षेत्र में साफ और बेदाग रही है इसलिए इस तरह के आडियो से वे परेशान हुए जबकि उनके द्वारा दिया गया समर्थन निस्वार्थ और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर दिया था। वहीं आडियो वायरल होने के बाद से वे लगातार इंकार करते रहे हैं। इस संदर्भ में आज हाईवे चैनल की टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे से उक्त मसले में सीधे संपर्क कर बातचीत की। जिसमें श्री दुबे ने लेन देन को पूर्णत: गलत करार दिया। उनका कहना था कि ऐसा उक्त कैलाश राव नाम के व्यक्ति द्वारा चुनाव में क्षति पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे कारनामे कैलाश राव के साथ जुड़े रहे है जो कि अमलीडीह में कई कार्यकर्ता के साथ जुड़कर कार्य करने का दावा कर फायदा उठाने का प्रयास करता रहा है। इसमें आयोग के शिकायत बाद निर्णय सारी स्थितियों को स्पष्ट कर देगा। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना था कि जितनी रकम आडियो में कही जा रही है उतनी रकम खर्च कर वे फिर से चुनाव में होने के लिए तैयार हो सकते है। यह आडियो असत्य है अब आयोग के शिकायत पर कार्रवाई का इंतजार रहेगा।

उपरोक्त विषय में डॉ. ओमप्रकाश देवांगन का कहना है कि इस मामले में महापौर व कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे का बयान यह साफ करता है कि वे निर्दोष हैं। साथ ही आयोग में दर्ज शिकायत पर सामने आने वाला फैसला यह पुष्टि कर देगा कि सच्चाई क्या है। इसलिए सभी को आयोग के निर्णय का इंतजार है। विशाल शर्मा द्वारा राजनीतिक द्वेषवश मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर बदनाम करने का षडयंत्र रचा गया है।

-डॉ. ओमप्रकाश देवांगन, शहर जिला अध्यक्ष